हेतु समय दिया जाकर दि० 5.4.17 को पेश हो।

S.D.O.

5.4.17 पत्रावली पेश हुई।

वकील वादी को तलबाना पेश करने हेतु समय दिया जाकर दिनांक 16.5.17 को पेश हो।

S.D.O

(राजस्व लोक अदालत कैम्प दाराई)

12/6/2017

पत्रावली प्रस्तुत हुई।
प्रतिवादी सं०-2 उपस्थित। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्सों के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न किया गया। केन्द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से इजराय पत्रावली कायम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार, 2017

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी लोक अदालत केम्प कोर्ट–दादाई

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 252 / 2015
दायरा तिथि : 20.07.2015
निर्णय तिथि : 12.06.2017

वादीगणः–

1. भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह
2. चम्पालाल पुत्र छोगसिंह
3. पर्वतसिंह पुत्र छोगसिंह
4. महेन्द्रसिंह पुत्र छोगसिंह
   जातिगण पुरोहित, निवासीगण वाडका
   तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हरिसिंह पुत्र दीपसिंह
2. प्रभूसिंह पुत्र दीपसिंह
3. भवानीसिंह पुत्र दीपसिंह
4. अमरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
5. अचलसिंह पुत्र समरथसिंह
6. नेनसिंह पुत्र समरथसिंह
7. रामकंवर बेवा किशोरसिंह
8. मदनसिंह पुत्र किशोरसिंह
9. कानसिंह पुत्र किशोरसिंह
10. लालसिंह पुत्र किशोरसिंह
11. भंवरी बेवा हमीरसिंह
    जातिगण राजपूत, निवासीगण वाडका तहसील देसूरी
12. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

: निर्णय : दिनांक : 12.06.2017

दावा बाबत 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्रावली न्याय आपके द्वार, 2017 शिविर दादाई मे पेश हुई। वादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 प्रभूसिंह उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 11 अनुपस्थित। उपस्थित पक्षकार को सुना गया व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा वाडका के खसरा नंबर 192, 193, 194 कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.5900 हैक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 की संयुक्त सह खातेदारी मे दर्ज है। जिसमे वादीगण ने 1/3 हिस्सा के अनुसार विभाजन की डिक्री चाही है, जो विधि सम्मत प्रतीत है।

पेज लगातार––2

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

राजस्व वाद संख्या 252/2015 अनवान भंवरसिंह वगैरा बनाम हरीसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः बाद अवलोकन पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात सरहद मौजा ाडका के खसरा नंबर 192, 193, 194 कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.5900 हैक्टर किस्म चाही ायम, जाव दोयम कुल लगानी 65.30 रूपये के संबंध मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज वादीगण का /3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 4 से 11 का /3 हिस्सा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन ी प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, देसूरी को जवाई जाकर निर्देश दिये जाते है वह उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स ण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर रिपोर्ट इस न्यायालय मे पेश करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के स्से बंट मे रखी भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा संख्या, रकबा, किस्म, लगान ईत्यादि र्शाते हुये तथा आवागमन के लिये रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक ा के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश की जावे। विभाजन पोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण मे नियमानुसार विभाजन की ाईनल डिक्री जारी की जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **12.06.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
दिनांक 12.06.2017

ाँक/केम्प कोर्ट/2017/
ातिलिपि को पालनार्थ :–
ासीलदार, देसूरी

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–दादाई